फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : श्री रमेश चन्द्र बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 17/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण
	दिनांक 29.10.2024

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपरिवाद उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर से रिपोर्ट प्राप्त। शामिल फाईल रहे। रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया। प्रकरण में उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त भूमि के साबिक आराजी नं 2081/2 के खातेदार श्री मिठालाल पुत्र नानालाल जाति महाजन से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र द्वारा प्रार्थी संख्या 1 व 2 द्वारा भूमि क्रय की तथा दोनो ही अपने खरीद शुदा भूखण्ड पर काबिज है। अधिवक्ता प्रार्थी ने कथन कहा कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थी संख्या 1 के कृषि भूखण्ड को नवीन जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 1 रमेशचन्द्र के नाम पर खसरा संख्या 4309 हो 0.0300 है के रूप में एवं प्रार्थी संख्या 2 बंशीलाल के कृषि भूखण्ड को नवीन जमाबंदी में प्रार्थी संख्या 2 बंशीलाल के नाम पर खसरा संख्या 6464/4309 हो 0.0300 है के रूप में दर्ज किया गया है। नवीन राजस्व नक्शा ट्रेस में प्रार्थी संख्या 1 रमेशचन्द्र के हिस्से, कब्जे के कृषि भूखण्ड खसरा संख्या 4309 के स्थान पर कोई भी खसरा संख्या दर्ज किया हुआ नहीं है तथा प्रार्थी संख्या 2 बंशीलाल के हिस्से, कब्जे के कृषि भूखण्ड संख्या 6464/4309 के स्थान पर मात्र 4309 ही दर्ज किया हुआ है जिससे नवीन सेटलमेंट के बाद हुई त्रुटि को दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया की राजस्व ग्राम खेरोदा की जमाबंदी संवत 2050–53 की खाता नं 985 पर आराजी नं 2081/4 रकबा 0–03 बीघा भूमि बंशीलाल पिता जगन्नाथ ब्राह्मण के नाम दर्ज एवं आराजी नं. 2081/5 रकबा 0–03 बीघा रमेशचन्द पिता खुबीलाल डांगी महाजन के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं इसी अनुसार मौके पर काबिज है। यह कि उपरोक्त आराजी नं. 2081/4, 2081/5 का मूल साबिक आराजी नं. 2081/2 थी है जिसके भू प्रबन्धन के बाद नया आराजी नं 4309 रकबा 0.06 है बना जो कि वक्त संग्रीगेशन में आराजी नं. 4309 रकबा 0.06 है. के दो नवीन आराजी नं 4309, रकबा 0.030 है., 6464/4309 रकबा 0.030 है. बने। यह कि वर्तमान जमाबंदी संवत 2078–81 में 4309 रकबा 0.030 है. रमेशचन्द पिता उदयलाल जाति महाजन एवं आराजी नं. 6464/4309 रकबा 0.030 है. बंशीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति पुष्करना रिकार्ड दर्ज है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा आराजी नं. 4309 रकबा 0.030 है. पर बंशीलाल पिता जगन्नाथ जाति पुष्करना के नाम दर्ज होना बताया एवं आराजी नं. 6464/4309 रकबा 0.030 है. रमेशचन्द पिता खुबीलाल जाति महाजन दर्ज होना बताया साथ ही बताया कि रमेशचन्द के पिताजी का नाम पूर्व संलग्न दर्ज रिकार्ड के अनुसार उदयलाल न होकर खुबीलाल है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा प्रस्तावित नक्शा ट्रेस पेश कर आराजी नं 4309 रकबा 0.030 है. को बंशीलाल पिता जगन्नाथ पुष्करना एवं 6464/4309 रकबा 0.030 है. को रमेशचन्द पिता खुबीलाल जाति महाजन के नाम दर्ज किया जाना प्रस्तावित किया।

हमने अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज व तहसीलदार भीण्डर से प्राप्त रिपोर्ट का अध्ययन किया। प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में आराजी नं 2081/4 रकबा 0–03 बीघा भूमि बंशीलाल पिता जगन्नाथ के नाम एवं आराजी 2081/5 रकबा 0–03 बीघा रमेशचन्द पिता खुबीलाल डांगी महाज[illegible] की जमाबंदी संवत 2050–53 की

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:12 IST
Reason: SelfAttested

खाता संख्या 985 से स्पष्ट है। भू प्रबधन के बाद उक्त आराजी न. के मूल सा आराजी न. 2081/2 मी. सं नये आराजी न. 4309 रकबा 0.06 है. बने जो मिलान ख से स्पष्ट हैं। तहसीलदार भीण्डर द्वारा नवीन नक्शा ट्रेस में त्रुटि होने से मौके अनु आराजी नं. 4309 रकबा 0.030 है. को बंशीलाल पिता जगन्नाथ पुष्करना 6464/4309 रकबा 0.030 है. को रमेशचन्द पिता खूबीलाल जाति महाजन के नाम द किया जाना प्रस्तावित किया साथ ही प्रार्थी रमेशचन्द के पिता का नाम गलत होने उदयलाल के स्थान पर खूबीलाल किया जाना प्रस्तावित किया।

अतः उपरोक्त विवेचन, तहसीलदार भीण्डर की रिपोर्ट व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व अधिनियम का स्वीकार किया जाता है कि मौजा खेरोदा पटवार हल्का खेरोदा तहसील भीण्डर की आराजी संख्या 4309 रकबा 0.03 है. रमेशचन्द पिता उदीलाल जाति महाजन के बजाय प्रार्थी संख्या 2 बंशीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति पुष्करणा के नाम दर्ज किये जाने व आराजी न. 6464/4309 खातेदार बंशीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति पुष्करणा के बजाय प्रार्थी संख्या 1 रमेशचन्द पुत्र खूबीलाल जाति महाजन के नाम दर्ज किये जाने व प्रस्तावित नक्शा ट्रेस अनुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पालना हेतु तहसीलदार भीण्डर को लिखा जावे। पत्रावली फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya
Date: 2025.05.19 12:55:12 IST
Reason: SelfAttested